पत्र संख्या–स्था0–5–क/मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2022–2023/ 697 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराज0अनुभाग)
लखनऊ दिनांकः 11 मार्च 2022

आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अनुसार वाणिज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) में कार्यरत सीधी भर्ती/पदोन्नत हुये पोषक संवर्ग मनोरंजन कर निरीक्षक (परिवर्तित पदनाम वाणिज्य कर निरीक्षक) की अद्यतन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते हुये उक्त पर आपत्तियां एक माह के अंदर आमंत्रित की गई हैं, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि कार्यालय में निर्धारित समयावधि में आपत्तियां प्रस्तुत न करने वाले अधिकारियों/निरीक्षकों के बारे में माना जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, और तदनुसार ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप से जारी कर दिया जायेगा। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 16.02.2022 के कम में 04 अधिकारियों एवं 03 मनोरंजन कर निरीक्षक (परिवर्तित पदनाम वाणिज्य कर निरीक्षक) की आपत्तियां प्राप्त हुयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

1–श्री स्वतंत्र कुमार, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), गौतमबुद्धनगर।
2–श्री मनोज बाजपेयी, सेवानिवृत्त उपायुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), मुजफ्फरनगर।
3–श्री रामदयाल रावत, वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), आगरा।
4–श्री अरविन्द वर्मा, वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), प्रयागराज।
5–सुश्री अंजलि यादव, वाणिज्य कर निरीक्षक, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), अमरोहा।
6–श्रीमती खुशबू, वाणिज्य कर निरीक्षक, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), गाजीपुर।
7–सुश्री अंजलि कुशवाहा, वाणिज्य कर निरीक्षक, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), गाजियाबाद।

आपत्ति संख्या–01

श्री स्वतंत्र कुमार, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), गौतमबुद्धनगर द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–1 द्वारा जारी विज्ञप्ति/प्रोन्नति संख्या–वि.क.नि.–1–1062/11–2018–1035(40)/18, दिनांक 30.06.2018 द्वारा उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600/– मैट्रिक्स लेवल–12 में पदोन्नति प्रदान की गयी है, जिसके कम में उनके द्वारा दिनांक 30.06.2018 को ही संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर का पद भार ग्रहण कर लिया गया है, किन्तु कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कमांक–8 पर अंकित उनके नाम के सम्मुख अन्तिम स्तम्भ–11 में संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर के पद भार ग्रहण करने के दिनांक 30.06.2018 को नहीं दर्शाया गया है, जोकि त्रुटि है, जिस पर उन्हें आपत्ति है। इस हेतु अन्तिम ज्येष्ठता सूची में संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर के पद भार ग्रहण करने के दिनांक 30.06.2018 को अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

सूचनीय है कि उठाई गई आपत्ति के कम में श्री स्वतंत्र कुमार सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) द्वारा संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट है कि श्री स्वतंत्र कुमार को उत्तर प्रदेश शासन, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–1 द्वारा जारी विज्ञप्ति/प्रोन्नति संख्या–वि.क.नि.–1–1062/11–2018–1035(40)/18, दिनांक 30.06.2018 द्वारा उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600/– मैट्रिक्स लेवल–12 में पदोन्नति प्रदान की गयी है, जिसके कम में उनके द्वारा दिनांक 30.06.2018 को ही संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर का पद भार ग्रहण कर लिया गया है। अतः अभिलेखानुसार आपत्ति ग्राहय पाते हुये तदनुसार संशोधन किया जाता है।

आपत्ति संख्या–02

श्री मनोज बाजपेयी, सेवानिवृत्त उपायुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), मुजफ्फरनगर द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/ मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/ वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि कमांक–19 पर अंकित उनकी अंतिम पदोन्नति दिनांक 05.03.2013 को जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पद पर दर्शायी गयी है। उनकी पदान्नति सहायक मनोरंजन कर आयुक्त एवं दिनांक 30.06.2018 को उपायुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर), मुजफ्फरनगर के पद पर की गयी थी, किन्तु उक्त ज्येष्ठता

सूची में जिला मनोरंजन कर अधिकारी के बाद होने वाले दोनों पदोन्नति के कॉलम रिक्त दर्शाया गया है। इस हेतु श्री बाजपेयी ने त्रुटिविहीन ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कमांक–19 पर अंकित श्री बाजपेयी के नाम के सम्मुख सहायक मनोरंजन कर आयुक्त एवं उपायुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर), मुजफ्फरनगर के नाम के सम्मुख लिपिकीय त्रुटिवश सहायक मनोरंजन कर आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 30.06.2017 एवं उपायुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 30.06.2018 अंकित करना छूट गयी है। अतः आपत्ति ग्राहय पाते हुये तदनुसार संशोधन किया जाता है।

<u>आपत्ति संख्या–03</u>

श्री रामदयाल रावत, वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), अमरोहा द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/ मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/ वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि कमांक–98 पर अंकित उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि 31.07.1963 अंकित है, जबकि कार्यालय एवं अभिलेखों में उनकी जन्मतिथि 31.07.1967 है। इस हेतु श्री रावत ने अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपनी जन्मतिथि संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कमांक–99 पर अंकित श्री रामदयाल रावत के नाम के सम्मुख जन्मतिथि 31.07.1963 त्रुटिवश अंकित हो गयी है। वास्तविक जन्मतिथि 31.07.1967 है। अतः आपत्ति ग्राहय पाते हुये तदनुसार संशोधन किया जाता है।

<u>आपत्ति संख्या–04</u>

श्री अरविन्द वर्मा, वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), प्रयागराज द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/ मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/ वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि कमांक–117 पर अंकित उनके नाम के सम्मुख मनोरंजन कर निरीक्षक, ग्रेड–2 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक 29.11.2005 अंकित है, जबकि उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि 27.01. 2001 अंकित होना चाहिए। स्पष्ट करना है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–1998 द्वारा चयन उप कारापाल के पद पर हुआ था एवं उक्त नियुक्ति के सापेक्ष उनके द्वारा योगदान आख्या दिनांक 27.01.2001 को जनपद बांदा कारागार में प्रस्तुत की गयी थी तथा आयोग की उपरोक्त परीक्षा–1998 की प्रतीक्षा सूची/रिशफलिंग के आधार पर उन्हें नवीन पद मनोरंजन कर निरीक्षक, ग्रेड–2 आवंटित किया गया। उक्त के अतिरिक्त श्री वर्मा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अनु सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय पत्र संख्या–349/ 11–6–2017–एम(19)/17, दिनांक 05.06.2017 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी, जो लोक सेवा आयोग की श्रेष्ठता सूची में अंकित है। भले ही ऐसे कार्मिक सेवा में विलम्ब से योगदान किए हो।" इस हेतु श्री वर्मा द्वारा जारी होने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त संशोधन अर्थात् पदभार ग्रहण करने की तिथि 29.11.2005 के स्थान पर 27.01.2001 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि श्री अरविन्द वर्मा को शासन द्वारा केवल सेवानिवृत्तिक लाभ तथा वेतन संरक्षण प्रदान किए गए हैं। ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कोई आदेश शासन या मुख्यालय स्तर से जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अरविन्द वर्मा का अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में स्थान है, जो शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के नियम–8 (2)(क) के अन्तर्गत सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 1998 के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षण किए जाने के परिणाम स्वरूप रखा गया है। अतः श्री अरविन्द वर्मा की उपरोक्त आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं है।

<u>आपत्ति संख्या–05</u>

सुश्री अंजलि यादव, वाणिज्य कर निरीक्षक, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), अमरोहा द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/ वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि उनका चयन कंबाइंड लोअर सबोर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम, 2015 (जनरल रिक्रूटमेंट) द्वारा मनोरंजन कर निरीक्षक परिवर्तित पदनाम वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पर हुआ है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रयागराज द्वारा

जारी परीक्षाफल के अनुसार ज्येष्ठता सूची में स्थान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड लोअर सबोर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम, 2015 (जनरल रिक्रूटमेंट) का अंतिम परीक्षाफल 13 अप्रैल 2018 को निर्गत किया गया था, जिसमें उसको कमांक 36 पर रखा गया है, परन्तु परीक्षाफल के अनुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कमशः 05 निरीक्षक सुश्री कोमल श्रीवास्तव, श्रीमती रीना, सुश्री ज्योति अग्निहोत्री, श्रीमती करिश्मा राठौर व श्री सतीश कुमार तिवारी को उनके ऊपर स्थान दिया गया है। उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका स्थान 238 पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया है कि ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची में स्थान निर्धारित होने की स्थिति में भी उसका स्थान ऊपर होना चाहिए था। इस हेतु सुश्री अंजलि यादव ने अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर उचित स्थान निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–15/18/2018–का–4–2018, दिनांक 07.05.2018 द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2015 के आधार पर चयनित संलग्न अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार त्रुटिवश सुश्री अंजलि यादव का नाम कमांक 244 पर अंकित हो गया है। जबकि कार्मिक अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–15/18/2018–का–4–2018, दिनांक 07.05.2018 द्वारा संलग्न कम्प्यूटर सूची के अनुसार इनका नाम कमांक 244 व 238 पर न होकर कमांक 239 पर होना चाहिए था। अतः आपत्ति ग्राहय पाते हुये तद्नुसार संशोधन किया जाता है।

आपत्ति संख्या–06

श्रीमती खुशबू, वाणिज्य कर निरीक्षक, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), गाजीपुर द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि उनका चयन कंबाइंड लोअर सबोर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम, 2015 (जनरल रिक्रूटमेंट) द्वारा मनोरंजन कर निरीक्षक परिवर्तित पदनाम वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पर हुआ है, को पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रयागराज द्वारा जारी परीक्षाफल के अनुसार ज्येष्ठता सूची में स्थान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड लोअर सबोर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम, 2015 (जनरल रिक्रूटमेंट) का अंतिम परीक्षाफल 13 अप्रैल 2018 को निर्गत किया गया था, जिसमें उसको कमांक 40 पर रखा गया है, परन्तु परीक्षाफल के अनुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नीचे स्थान पाये हुये कमशः 05 निरीक्षक श्रीमती करिश्मा राठौर, सुश्री शालिनी सिंह, श्री सुशील कुमार, श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह व श्री सतीश कुमार तिवारी अन्य निरीक्षक हैं, किन्तु विभाग द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उन्हें अन्तिम अभ्यर्थी से एक स्थान ऊपर रखा गया है। उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका स्थान 240 पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया है कि ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची में स्थान निर्धारित होने की स्थिति में भी उसका स्थान ऊपर होना चाहिए था। इस हेतु श्रीमती खुशबू ने अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर उचित स्थान निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–15/18/2018–का–4–2018, दिनांक 07.05.2018 द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2015 के आधार पर चयनित संलग्न अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार त्रुटिवश श्रीमती खुशबू का नाम कमांक 245 पर अंकित हो गया है। जबकि कार्मिक अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–15/18/2018–का–4–2018, दिनांक 07.05.2018 द्वारा संलग्न कम्प्यूटर सूची के अनुसार इनका नाम कमांक–245 व 240 पर न होकर कमांक 243 पर होना चाहिए था। अतः आपत्ति ग्राहय पाते हुये तद्नुसार संशोधन किया जाता है।

आपत्ति संख्या–07

सुश्री अंजलि कुशवाहा, वाणिज्य कर निरीक्षक, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), गाजीपुर द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–स्था0–5–क/मनोरंजन कर/ज्येष्ठता सूची/2021–2022/5280/वाणिज्य कर, दिनांक 16.02.2022 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि उनका नाम कमांक 243 पर अंकित है। प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची में उन्हें नियत स्थान से नीचे का स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा–2015 का अंतिम परीक्षाफल 13 अप्रैल 2018 को निर्गत किया गया था, जिसमें उसको कमांक 35 पर रखा गया है, परन्तु परीक्षाफल के अनुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नीचे स्थान पाये हुये कमशः 05 निरीक्षक सुश्री कोमल श्रीवास्तव, श्रीमती रीना, सुश्री ज्योति अग्निहोत्री, श्रीमती करिश्मा राठौर व श्री सतीश कुमार तिवारी अन्य निरीक्षकों उनके ऊपर के कमांक पर रखा गया है। उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका स्थान 243 न होकर 237 होना चाहिए। उपरोक्त तालिका में अंकित श्रीमती रीना को छोड़कर अन्य समस्त निरीक्षकों द्वारा विभाग में उनके बाद ज्वाइनिंग की गयी है।

इस प्रकार आयोग के परीक्षाफल एवं विभाग में ज्वाइनिंग के आधार पर उनका नाम वर्तमान अंकित स्थान से ऊपर होना चाहिए। इस हेतु सूची अंकित कृष्णकान्त ने अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर उचित स्थान निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-15/18/2018-का-4-2018, दिनांक 07.05.2018 द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2015 के आधार पर चयनित संलग्न अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार ज्येष्ठता सूची अंकित यादव का नाम क्रमांक 263 पर अंकित हो गया है। जबकि कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-15/18/2018-का-4-2018, दिनांक 07.05.2018 द्वारा संलग्न कम्प्यूटर सूची के अनुसार इनका नाम क्रमांक 263 व 287 पर न होकर क्रमांक 228 पर होना चाहिए था। अतः आपत्ति ग्राह्य पाते हुये तदनुसार संशोधन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त 07 आपत्तियों को निस्तारित किया जाता है।

ह0/-
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
प्रभार एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1-सम्बन्धित समस्त जनपदीय अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2-ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3-असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर), मुख्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी/निरीक्षक, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश।
5-व्यक्तिगत पत्रावली।
6-गार्ड फाइल।

(पी0एन0 यादव)
ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना अराजपत्रित),
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।